सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 341 राँची ,सोमवार 30 आषाढ़ 1936 (श०)

21 जुलाई, 2014 (ई०)

वित्त विभाग।

संकल्प

7 जुलाई, 2014

विषय: छठे केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को परिधान भत्ता, धुलाई भत्ता एवं आवास किराया भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-12/एस. (न्या.मा.)-09/2014/2375/वि०--षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों के मामले में दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू है। उक्त संकल्प के द्वारा वेतनमान के अलावे राज्यकर्मियों के मामले में आवास किराया भत्ता (वर्गीकृत शहर के अनुसार) परिवहन भत्ता (जहाँ अनुमान्य है) एवं चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।

2. बिहार सरकार, गृह विभाग के पत्रांक 5189 दिनांक 11 मई, 1999 के द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से अभियोजन सेवा के पदाधिकारी को परिधान भत्ता एवं धुलाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी। किन्तु 6thPRC के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व से देय परिधान भत्ता एवं धुलाई भत्ता का पुनरीक्षण नहीं

किया जा सका । फलतः पूर्व से देय परिधान भत्ता एवं धुलाई भत्ता का भुगतान अभियोजन सेवा संघ के पदाधिकारी को दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से बंद हो गया है। ऐसी जानकारी गृह विभाग के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या 137/2010 (सिविल) के क्रम में समर्पित प्रस्ताव से मिली है। वित्त विभाग के द्वारा पूर्व से अनुमान्य भत्ता का पुनरीक्षण वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा नहीं किया जा सका, किन्तु देय भत्ता पर किसी प्रकार का रोक संबंधी आदेश वित्त विभाग के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

3. गृह विभाग झारखण्ड द्वारा न्यायालय को दी गई सूचना एवं W.P.(S.) No. 1215/2002 में दिनांक 17 जुलाई, 2002 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (Civil) No. 137/2010 में दिनांक 14 फरवरी, 2014 को पारित आदेश एवं AG झारखण्ड का पत्रांक 4932 दिनांक 17 मई, 2014 के क्रम में संबंधित बिन्दुओं पर निर्णय लेना है। उक्त के आलोक में अभियोजन सेवा संघ के पदाधिकारियों को परिधान भत्ता, धुलाई भत्ता एवं आवास किराया भत्ता की स्वीकृति सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत अभियोजन सेवा संघ के पदाधिकारियों के मामले में परिधान भत्ता एवं धुलाई भत्ता 6thPRC के परिप्रेक्ष्य में निम्नरूपेण स्वीकृत करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(i) परिधान भत्ता - रु॰ 2500 प्रति सात वर्ष में।

(ii) धुलाई भत्ता - रु॰ 200 प्रतिमाह।

5. उक्त लाभ आदेश निर्गत की तिथि से देय होगा।

6. आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व की अवधि के लिये बिहार सरकार, गृह विभाग के राज्यादेश संख्या 5189 दिनांक 11 मई, 1999 एवं इस क्रम में झारखण्ड सरकार, गृह विभाग के पत्रांक 1226, दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा स्वीकृत भत्ता अनुमान्य होगा।

7. इसके अतिरिक्त सभी राज्यकर्मियों के मामले में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा आवास किराया भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। फलतः अभियोजन सेवा के मामले में अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना उचित नहीं है। अतः वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के आलोक में अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को भी आवास भत्ता अनुमान्य है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2705/वि॰ दिनांक 6 अगस्त, 2009 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1764/वि॰ दिनांक 20 मई, 2014 के क्रम में दिनांक 26 जून, 2014 की बैठक के मद सं॰ 09 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 341–50 ।